

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अ-2-4/(2)/स्था0/2-2011/ 2818

भोपाल,दिनांक :- 7-6-2011

//आदेश//

निम्नलिखित वाहन चालक को स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शित स्थान पर अन्य आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है ।

क्र०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	स्थानांतरण स्थल (किसान कल्याण तथा कृषि विकास)	स्थानांतरण का आधार
1	मो0 असगर, वाहन चालक	कार्यालय सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, झाबुआ	कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास बुरहानपुर	स्वयं के व्यय पर
2	श्री एम0आर0पारखे, वाहन चालक	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी हरदा	कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास बुरहानपुर	प्रशासनिक


स्थानांतरण आदेश जारी करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, भोपाल के परिपत्रक्रएफ-6-1/2011/एक/9, भोपाल,दि. 20.4.2011 के निर्देशों का पालन किया गया है ।

स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाए । यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा । एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश प्रेषित हुआ माना जायेगा ।

जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी हों, उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जाय । स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये ।

स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, सेवापुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं इम्पलाईज कोड/डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें ।

स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा । स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर्मचारियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी ।


संचालक,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास


म0प्र0,भोपाल

भोपाल,दिनांक :- 7-6-2011

पृष्ठां क्रमांक/अ-2-4/(2)/स्था0/2-2011/ 2818

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- विशेष सहायक मा0 कृषि राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विभाग मंत्रालय, मध्य प्रदेश भोपाल की ओर एकल नस्ती क्र० 122 दिनांक 07.06.2010 के संदर्भ में ।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय,भोपाल ।
- 3- संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश ।
- 4- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश ।
- 5- कार्यालय सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, झाबुआ म0प्र0 ।
- 6- सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी हरदा म0प्र0 ।
- 7- संबंधित श्री..... द्वारा सरलक्रमांक-
- 8- आदेश नस्ती ।


संयुक्त संचालक कृषि (स्था0)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
म0प्र0, भोपाल